ी क्रम और ख्र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा

राजसात वाद सं0 –15/2008–09

राज्य बनाम नकूल सिंह

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक गढ़वा के पत्रांक 879 दिनांक 14.6.2008 द्वारा 21 बोरा जप्त गेहूँ प्रति बोरा 50 कि0ग्रा0 को राजसात करने हेतु प्राप्त पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया है ।

विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल किया गया । विपक्षी का जवाब में कहना है कि वे भवनाथपुर प्रखंड के ग्राम–सिंधीताली में खाद्यान्न विक्रेता है । सिंधीताली तक कच्ची सड़क के चलते बरसात में आवागमन बन्द हो जाता था जिसके चलते अधिकारी के आदेश प्राप्त कर भवनाथपुर में ही गोदाम बनाकर आपूर्ति करता रहा हूँ । दिनांक 25.8.2007 को विपक्षी गोदाम में कागज के अनुसार अपना खाद्यान्न का मिलान कर रहे थे। खाद्यान्न मिलाने के क्रम में कुछ बोरा वर्षा के कारण भींगा हुआ पाया गया। भींगा हुआ बोरा में से अनाज को पलटी करने के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवनाथपुर पुलिस बल के साथ दुकान पर आये एवं 22 बोरा गेहूं सीज कर लिये जबकि सीजर लीस्ट में 21 बोरा का ही जिक्र है, जो गलत है । जवाब में आगे यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा विपक्षी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 414 एवं दफा 7 ई0सी0 एक्ट के तहत किया गया मुकदमा गलत है एवं माननीय उच्च न्यायालय में यह स्वीकार करते हुए कि विपक्षी कोई अपराध नही किये हैं अग्रिम जमानत दे दिया गया है। उन्होनें अपने जवाब में भवनाथपुर थाना काण्ड संख्या 120/07 दिनांक 26.8.2007 को वापस लेने हेतु अनुरोध किया है ।

विपक्षी को विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप वाद की सुनवाई एक पक्षीय की गई। राज्य की ओर से सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुना। सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी एक जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्तिधारी है। अनुज्ञप्ति में निहित शर्त के अनुरूप ही उन्हें सरकारी खाद्यान्न की बिक्री (वितरण) करना है। विपक्षी द्वारा जन वितरण प्रणाली संबंधी चिन्हित दुकान में खाद्यान्न रखकर अन्यत्र रखने संबंधी कही जा रही बात सरकारी खाद्यान का कालाबाजारी करने का द्योतक है। तर्क में उन्होनें जप्त खाद्यान्न (गेहूं) को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया ।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक, गढ़वा से जप्त गेहूं पर राजसात करने हेतु पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रतिवेदन में निहित तथ्यों के साथ–साथ विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब में निहित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि

विपक्षी नकूल सिंह एक जनवितरण प्रणाली के दुकानदार है जिनके द्वारा सरकारी खाद्यान्न (गेहूं) को कालाबाजारी करने के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवनाथपुर द्वारा पकड़ा गया है जिसके लिए भवनाथपुर थाना में थाना काण्ड संख्या 120/07 दिनांक 26.8.2007 दर्ज है। विपक्षी का अपने जवाब में यह कथन कि अधिकारी से आदेश प्राप्त कर भवनाथपुर में ही गोदाम बनाया था और वहीं से आपूर्ति करता था ,भ्रामक प्रतीत होता है , चूँकि विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में 21 बोरा जप्त गेहूं प्रति बोरा 50 किलोग्राम जो सरकारी गोदाम में जिम्मेनामा पर सुरक्षित रखा गया है , को राजसात करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, नगरउंटारी को आदेश दिया जाता है कि जप्त गेहूं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्त्योदय उपभोगताओं के बीच वितरण कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक सप्ताह के अन्दर जमा करावें ।

लेखापित एवं संशोधित

15/2/19

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी, गढवा

15/2/19

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:03:42 +05:30
Location: 192.168.43.218